फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री देवीलाल बनाम विपक्षी : श्री प्रभुलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 114 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली संख्या : 10/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 08.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः विपक्षी संख्या 1 से 5 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब नही देना चाहा। विपक्षी संख्या 6 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षी संख्या 1 द्वारा आप माननीय न्यायालय मे विपक्षी संख्या 2 से 6 के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया जो वाद संख्या 86/2014 के रूप में दर्ज रजिस्टर फरमाया गया। यह कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा संग्रामपुरा पटवार हल्का अमरपुरा जागीर उप तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में आराजी न. 481, 483, 490, 513, 514, 515, 516, 518 किता 8 रकबा 12 बिघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें विपक्षी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 का 1/8 हिस्सा है, साथ ही आराजी न. 517 किता 1 रकबा 09 बिघा 19 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1 का 11/120 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 का 1/8 हिस्सा है एवं शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारों के नाम पर अंकित है। यह कि उपरोक्त प्रकरण विपक्षी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र की कलम न. 1 के परिशिष्ट (क) की भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 5 के 1/4 हिस्से की भूमि बाबत् एवं परिशिष्ठ (ख) की भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 5 के 11/120 एवं 1/8 हिस्से बाबत् ही वाद प्रस्तुत किया गया एवं इस भूमि के अलावा किसी भी अन्य सह खातेदार को पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया गया।

यह कि उपरोक्त प्रकरण में आप माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2017 को जो निर्णय व डिक्री जारी फरमाई गई, उसमें सेहवन से वाद पत्र की कलम न. 1 के परिशिष्ट (क) की भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 5 के 1/4 हिस्से की भूमि बाबत् एवं परिशिष्ठ (ख) की भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 5 के 11/120 एवं 1/8 हिस्से बाबत् तक ही डिक्री जारी नहीं फरमाई जाकर कुलिया आराजीयात बाबत् डिक्री जारी फरमा दी गई जिससे अन्य सह खातेदारों के हिस्से भी प्रभावित हो रहे हैं एवं अन्य सह खातेदार अपने हिस्सों का विक्रय, रहन, बेह, बख्शीश आदि तरीको से हस्तांतरण भी नहीं कर पा रहें है। यह कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा अन्य सह खातेदारों के हिस्से बाबत् कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं किया [illegible] खातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाया गया था एवं न ही अन्य सह खातेदारों के हिस्से [illegible] अनुतोष चाहा गया था जिससे आप माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री विपक्षी संख्या 1 [illegible] के हिस्से बाबत् ही जारी होनी चाहिये थी, परन्तु डिक्री में सेहवन से विपक्षी संख्या 1 से 5 का हिस्से का उल्लेख नहीं [illegible] अन्य सह खातेदारों के हिस्सों पर बहुत बुरा प्रभाव पड रहा [illegible] जिससे न्यायहित में उक्त [illegible] माननीय न्यायालय द्वारा रिव्यु फरमाया जाना आवश्यक है एवं सेहवन से जो डिक्री अन्य सह खातेदारों के हिस्से पर जारी हुई है उसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः डिक्री को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:48 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित किये जाने का निवदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन
नहीं किया गया।

प्रकरण मे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से पाया कि इस प्रार्थना के विपक्षी संख्या 1 द्वारा
माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर में एक वाद अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस प्रार्थना पत्र के विपक्षी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध पेश
किया गया जिसे प्रकरण संख्या 86/2014 वाद के रूप में दर्ज किया गया। उक्त वाद में विपक्षी
संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवदन किया।
उक्त प्रकरण को माननीय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर द्वारा दिनांक 10.05.2017 को
स्वीकार कर प्रतिवादीगणों स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर आदेशित किया कि " मौजा संग्रामपुरा
पटवार हल्का अमरपुरा जागीर तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी न. 481, 483, 490, 513,
514, 515, 516, 518 किता 8 रकबा 12 बिघा 15 बिस्वा तथा आराजी न. 517 किता 1 रकबा
बिघा 19 बिस्वा भूमि का जब तक विधिक रूप से विभाजन नहीं हो तब उक्त आराजीयात को
विक्रय रहन बेह बक्शीस आदि तरिको से हस्तान्तरित नहीं करें। वादी की फसल पेड़ ... आदि को
नुकसान नहीं पहुँचावे। वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, उपयोग उपभोग करने देवे। " उक्त
प्रकरण संख्या 86/2014 (वाद) में प्रार्थी देवीलाल पिता श्री डालु लोहार पक्षकार नहीं है उक्त
प्रकरण विपक्षी संख्या 1 से 6 के मध्य है जबकि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में प्रतिवादी
(इस प्रार्थना पत्र के विपक्षी संख्या 2 से 6) के हिस्सो को स्पष्ट करते हुये आदेश नहीं दिया गया
है जिससे प्रार्थनाग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश का अंकन है जिससे अन्य सह खातेदारों के
हिस्से भी प्रभावित हो रहें है साथ ही अपने हिस्सों का विक्रय, रहन, बेहबक्शीश आदि तरिको से
हस्तान्तरित नहीं कर पा रहें है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा मुतनाजा प्रकरण
संख्या 86/2014 अनवान प्रभुलाल बनाम नारायण व अन्य अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इस प्रार्थना के विपक्षी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा
था। प्रार्थी द्वारा अन्य सह खातेदार उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं थे न ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा
प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों के विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा था जिससे माननीय न्यायालय सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर द्वारा जारी निर्णय दिनांक 10.05.2017 प्रकरण संख्या 86/2014
(वाद) अनवान प्रभुलाल बनाम नारायण व अन्य को संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 114 सपठित 151 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सपठित धारा 151 जा.दी.
स्वीकार किया जाता है तथा रेवेन्यु वाद प्रकरण संख्या 86/2014 अनवान प्रभुलाल बनाम नारायण
व अन्य के आदेश व डिक्री दिनांक 10.05.2017 को संशोधित किया जाता है कि उक्त आदेश व
डिक्री दिनांक 10.05.2017 वाद के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 (रिव्यु प्रार्थना के विपक्षी संख्या
1 से 5) के हिस्सों तक ही प्रभावी रहेगा। अन्य सहखातेदारों के हिस्सो पर अप्रभावी रहेगा।
संशोधित डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल ... नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले इजलास सुनाया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:48 IST
Reason: SelfAttested